न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 236/2024

दोलाराम पुत्र गेनाराम व अन्य
बनाम
करनाराम पुत्र मोहनराम वगैरा

दिनांक 26.12.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी ओसियां (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 207/2022 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0–प्रार्थीगण–करनाराम वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील तिंवरी स्थित ग्राम बिंजवाडिया के खसरा नम्बर 216/3 रकबा 3.3184 हैक्टर संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि के उत्तर–पश्चिम दिशा की ओर अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा अप्रार्थी सं0 3 से 8 के खातेदारी खसरान कमश ख0नं0 216/2 तथा 216/4, 216/5, 216/6, 216/7, 216/8, 216/9 व 216 के मध्य की सीमा पर सीमांकन व पत्थरगढी करवाने हेतु आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थीगण ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभय पक्ष उपस्थित, बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि आलौच्य प्रकरण में अपीलांट –अप्रार्थीगण को जारी नोटिस की व्यक्तिगत तामिल नही हुई तथा ना ही समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार से रिपोर्ट अथवा कब्जाकाश्त की जनकारी नही ली गई तथा एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो धारा 111 व 128 के प्रावधानों के विपरित है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 से 5 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि रेस्पो0 द्वारा वादग्रस्त खसरान की भूमि का नियमानुसार सीमांकन हेतु आवेदन करने पर मौका फर्द दिनांक 02.05.2022 के अनुसार मौके पर पडौसी खातेदारों के मध्य कब्जा संबंधी विवाद होने से सीमांकन नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 से 12 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 13.7.22 को नोटिस जारी किए गये थे। जिनकी डाक रसीदे पेश की गई। प्रर्याप्त समय व्यतीत होने के बावजूद वह अनुपस्थित रहने से उनके

विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.5.24 पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार तिंवरी को राजस्व टीम गठित कर वादग्रस्त खसरान का सीमांकन कर पत्थरगढी, करवाने हेतु आदेशित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश अप्रार्थी–तहसीलदार तिंवरी का जवाब/रिपोर्ट के अभाव में पारित किया गया है। इसके अलावा हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलांट इस मामले में सुनवाई चाहते है। इस स्थिति में उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी बागोडा (जालोर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 207/2022 बअनवान करनाराम व अन्य बनाम दोलाराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2024 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 26/12/25 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

(सुनिता चौधरी) 26/12/25.
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर